



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र०क्रो/ निगरानी/ पी.बी.आर./ 2017
प्र०क्रो/ विदिशा/ भू-रा/ 2017/ 4812

रणधीरसिंह आ० स्व. श्री किशन सिंह
जाति बघेल, उम्र लगभग-79वर्ष
कृषक एवं निवासी-ग्राम भीलाखेड़ी कला
पो० सुनखेर, तह० लटेरी, जिला विदिशा,

—निगरानीकर्ता

विरुद्ध

- 1— रामबाबू आ० स्व. श्री धन्नालाल
2— शिवचरण आ० स्व. श्री धन्नालाल
3— रामलखन आ० स्व. श्री धन्नालाल
समस्त वयस्क-कृषक एवं निवासीगण—
ग्राम-भीलखो तह० बैरासिया, जिला भोपाल

—अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा-50 भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता न्यायालय तहसीलदार तहसील लटेरी, के प्र०क्रो 141/अ-6/2016-17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 28.11.2017 से परिवेदित होकर निर्धारित समयावधि में यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

यह कि अनावेदकगण के पिता स्व. श्री धन्नालाल आ० स्व. श्री नन्दा उर्फ नंदराम विश्वकर्मा, तत्कालीन निवासी ग्राम भीलाखेड़ी तह० लटेरी जिला विदिशा ग्राम लटेरी की भूमि पुराने ख०क्रो 503 रकबा 8 बीघा 3 बिस्वा, ख०क्रो 570 रकबा 14 बीघा 14 बिस्वा, ख०क्रो 632 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, नये ख०क्रो 453 रकबा 2.061ह०, ख०क्रो 459 रकबा 3.718ह० के अभिलिखित भूमिस्वामी रहे हैं।

2— यह कि अनावेदकगण के पिता श्री धन्नालाल ने निगरानीकर्ता रणधीरसिंह को अपने जीवनकाल में वर्ष 1972 में उक्त भूमि रजिस्टर्ड बैनामे से विक्रय कर स्वत्व एवं आधिपत्य सौंप चुके थे। वर्ष 1972 में श्री धन्नालाल ने उप पंजीयक/ तहसीलदार लटेरी के कार्यालय में उक्त भूमि का रजिस्टर्ड बैनामा प्रस्तुत किया था। निगरानीकर्ता ने तत्समय श्री धन्नालाल को उक्त भूमि का संपूर्ण विक्रय मूल्य 64,000/- रु० अदा कर दिया था। यह उल्लेखनीय है कि धन्नालाल उक्त भूमि विक्रय करने के उपरान्त ग्राम भीलाखेड़ी तह० लटेरी छोड़कर ग्राम भीलखो तह० बैरासिया चला गया था और वहीं शादी करके निवास करने लगा था।

3— यह कि निगरानीकर्ता रणधीरसिंह तत्समय जनसंघ पार्टी के जिला विदिशा के उपाध्यक्ष के पद पर थे। आपातकाल की घोषणा हो चुकी थी और जिस दिन धन्नालाल ने रजिस्टर्ड बैनामा निगरानीकर्ता रणधीरसिंह की उपरिथिति में उप पंजीयक तहसीलदार लटेरी के कार्यालय में प्रस्तुत किया था उसी दिन निगरानीकर्ता रणधीरसिंह को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा तहसील कार्यालय की घेराबंदी की थी। निगरानीकर्ता को इसकी भनक लगने पर वह फरार हो गया था और लगभग 4 माह फरारी में रहा था। इसके उपरान्त निगरानीकर्ता रणधीरसिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह आपातकाल की अवधि में राजनैतिक बन्दी के रूप में 15 माह जेल में रहा था।

Alm.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4812

जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-17	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर सुना गया ।</p> <p>2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, लटेरी जिला विदिशा के अंतरिम आदेश दिनांक 28-11-17 के विरुद्ध पेश की है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदक द्वारा पक्षकार बनाये जाने संबंधी आवेदन पत्र चलने योग्य न होने से खारिज किया है और प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत किया है । आवेदक द्वारा आधिपत्य के आधार पर पक्षकार बनाए जाने का अनुरोध किया है । तहसीलदार के आदेश से स्पष्ट होता है कि उन्होंने पक्षकार न बनाये जाने का आधार उल्लिखित करते हुए कहा है कि स्वत्व अभिस्वीकृति पत्र के आधार पर किसी को स्वत्व का अंतरण नहीं किया जा सकता । तहसीलदार का उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित है । दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	 <p>प्रशांत सदस्य</p>